न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला—प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः—14 / 2021

1. श्रीमती राजू बाई पत्नी भागाजी जाति मेघवाल निवासी बागदरी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0

—— प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती कस्तुरीबाई पत्नी भागा जी जाति मेघवाल निवासी बागदरी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
2. श्रीमती कमलीबाई पुत्री भागा जी जाति मेघवाल निवासी बागदरी तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
3. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री रामप्रसाद जणवा — अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय दिनांक 02.08.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बागदरी पटवार हल्का नाराणी के खाता संख्या 24 की आराजी संख्या 301 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 302 रकबा 0.18 हैक्ट0 आराजी संख्या 302/671 रकबा 1.08 हैक्ट0 आराजी संख्या 302/685 रकबा 0.02 हैक्ट0 आराजी संख्या 333 रकबा 0.18 हैक्ट0 आराजी संख्या 337 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.88 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 216 की आराजी संख्या 196 रकबा 0.08 हैक्ट0,आराजी संख्या 197 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.18 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी प्रार्थीया एवं विपक्षी कमांक 01 एवं 02 के सयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थीया का नाम राजुबाई बजाए बबली दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड इत्यादि में नाम बबली दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में बबली पुत्री भागा जी के बजाए राजूबाई पुत्री भागा जी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी से जवाब एवं पटवार रिपोर्ट तलब कि गई जिसमें पटवार हल्का नाराणी ने बताया कि बबली बाई पुत्री भागा जी एवं राजु बाई पुत्री भागा जी एक ही महिला के नाम है । संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधारकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमें भी प्रार्थीया का नाम राजूबाई दर्ज है। संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम बबली बाई पुत्री भागा दर्ज रेकार्ड है पटवार हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर भी जाहिए होता है कि बबली बाई पुत्री भागा जी एवं राजु बाई पुत्री भागा जी एक ही महिला के नाम है अतः उक्त शुद्धि को किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

3. फलत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बागदरी पटवार हल्का नाराणी के खाता संख्या 24 की आराजी संख्या 301 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 302 रकबा 0.18 हैक्ट0 आराजी संख्या 302/671 रकबा 1.08 हैक्ट0 आराजी संख्या 302/685 रकबा 0.02 हैक्ट0 आराजी संख्या 333 रकबा 0.18 हैक्ट0 आराजी संख्या 337 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.88 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 216 की आराजी संख्या 196 रकबा 0.08 हैक्ट0,आराजी संख्या 197 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.18 हैक्ट0 पर प्रार्थीया का नाम बबली बाई पुत्री भागा जी के बजाए राजु बाई पुत्री भागा जी दर्ज किया जावें। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़